न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-288RAAJodhpur2022-175RTA225 Bhuraram ors Vs Kalaram etc

01. भूराराम पुत्र राजुराम
02. मलाराम पुत्र राजुराम
दोनो जातियान् जाट, निवासी- सुवालिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब
ना
म

01. कलाराम पुत्र चुनाराम
02. किशनाराम पुत्र ईशरराम
03. चैनाराम पुत्र ईशरराम
04. दुर्गाराम पुत्र चुनाराम
05. पुराराम पुत्र ईशरराम
06. श्रीमती बनुदेवी पत्नी ईशरराम
जातियान् जाट, निवासी- सुवालिया, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
07. चैनाराम पुत्र चुनाराम
08. मूलाराम पुत्र चुनाराम
जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम हरिओम नगर एकलखोरी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 06 मई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2022 कलाराम व अन्य बनाम भूराराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलांट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो संख्या नौ

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 31 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2022 अनवान कलाराम व अन्य बनाम भूराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 मई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1262 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, खसरा नं. 1263 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नं. 1265 रकबा 4.9453 हैक्टैयर, खसरा नं. 1264 रकबा 2.9785 हैक्टेयर ग्राम बालाजी नगर एवं खसरा नं. 1375 रकबा 7.6162 हैक्टेयर, खसरा नं. 1376 रकबा 6.4264 हैक्टेयर ग्राम सुवालिया तहसील शेरगढ के संबंध धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 मई 2022 को प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को रजिस्टर्ड ए.डी सम्मन के जरिये तलब किया गया। सम्यक तामील के बावजूद भी रेस्पो. के उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट पक्ष एवं रेस्पोडेंट संख्या नौ की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। खसरा नं. 1375 रकबा 47 बीघा 01 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट की एकल खातेदारी में दर्ज है जो स्वयं रेस्पोडेंट्स ने अपने प्रार्थना पत्र में माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 1375 की पत्थरगढी हेतु आवेदन पेश किया जो दिनांक 25 फरवरी 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स द्वारा न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही रूकवाने के दुराशय से तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 06 मई 2022 को खारिज फरमाया जावे

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2073-76 ग्राम सुवालिया तहसील शेरगढ के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1375 रकबा 47.01 बीघा अपीलांट भूराराम एवं मालाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स की एकल खातेदारी के रुप में दर्ज है, जिसमें किसी भी रेस्पोडेंट का नाम दर्ज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 25 फरवरी 2022 के मुताबिक उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1375 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश पारित किये गये है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त पत्थरगढी किये जाने की कार्यवाही को रुकवाने से दुराशय से अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया जाना पाया जाता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। इसलिए मामले के अंतिम निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप सें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2022 अनवान कलाराम व अन्य बनाम भूराराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 06 मई 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.07.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर